भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1303
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लोगों का पलायन

1303. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत 100 दिन का दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है;

(घ) क्या उक्त योजना प्रत्येक जिले में प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए नई योजनाएं क्रियान्वित करने का है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार , जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो , को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात ग्रामीण परिवारों के लिए कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में आजीविका के लिए एक वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 07.02.2025 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सृजित श्रम दिवसों और 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सृजित श्रम दिवस (आँकड़े करोड़ में)	363.19	293.70	308.68	241.87
वे परिवार जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है (आँकड़े लाख में)	59.15	35.97	44.95	21.28

(नरेगासोफ्ट के अनुसार)

(घ) और (ड़): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित है। नरेगा सॉफ्ट के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा योजना 740 जिलों में संचालित है जिसमें 7,186 ब्लॉक और 2,68,927 ग्राम पंचायतें शामिल हैं जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें, सामान्य समीक्षा मिशन, कार्यक्रम समीक्षा समिति बैठकें, मासिक समीक्षा बैठक और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। इसके अलावा, राज्य रोजगार गारंटी परिषदें (सीईजीसी) भी आवधिक आधार पर राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन।
2. लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र।
3. राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता एवं केंद्रीय टीमों द्वारा निगरानी।
4. आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन।
5. क्षेत्र अधिकारी ऐप के माध्यम से निगरानी।
6. उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का उपयोग।
7. नागरिकों की प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जनमनरेगा ऐप

ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के तहत रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और पात्र परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहा है।